



21

निगरानी क्रमांक / 2016

प्रस्तुती दिनांक -

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

लईक शाह पिता मोहम्मद शाह
आयु - 41 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार
निवासी - 11, गली नंबर 2, सुतार बाखल, देवास

R. 4409 PPR/16

- निगरानीकर्ता

श्री. वि. वि. वि.
द्वारा आज दि. 30-12-16 को
प्रस्तुत

विरुद्ध

30-12-16
कलेक्टर ऑफ कोर्ट -
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय

कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, जिला इन्दौर

- 2- तहसीलदार महोदय इन्दौर
विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय
मोती तबेला, इन्दौर

- प्रत्यर्थागण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विजय नगर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया एवं उसके तहत जारी सूचनापत्र क्रमांक 129 /री-2/2016, दिनांक 07/12/2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, संबंधित सूचनापत्र ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 325/3/2/1 एवं सर्वे क्रमांक 325 3 2 2 रजद क्रमांक 1452 है एवं 1543 है स्थित भूमि के डबल नंबर के रूप में प्रस्तुत नदरेन भूमि के डबल नंबर भूमि नंबर



9
Quoted
30/12/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4409-पीबीआर/16

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>अनावेदक पक्ष शासन की ओर से श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो।</p> <p style="text-align: center;">  अध्यक्ष </p> <p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p>	